

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: FCA/e-1029419/1635

दिनांक: 29/09/2023

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन एवं वन्यप्राणी विभाग,
चण्डीगढ़ ।

विषय: Diversion of 0.0074 Ha. of forest Land to proposed New Retail Outlet of IOC Ltd. at Village Sasouli on Workshop Road to Sasouli Road (WML), under Forest Division & Distt. Yamunanagar, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Approach/144571/2022

मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला द्वारा IOCL PANIPAT DIVISIONAL OFFICE. के अनुरोध पर कथित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भेजा गया है। प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है। इस प्रस्ताव में 0.0074 है० वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें कोई भी वृक्ष/पौधा बाधक नहीं है। यह स्थल किसी भी प्रतिबन्धित वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है। प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता एजेंसी से केम्पा के लेखा में निम्नप्रकार से जमा करवाई जाएगी ।

क्र०सं०	विवरण	कुल राशि
1.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	39676
2.	Barbed Wire Fencing Charges	7935
3.	नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फॉरेस्ट लैण्ड	7088
	कुल	54699

इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से Bir Tapu RF. पर 100 पौधे लगवाए जाएंगे। इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। उक्त प्रस्ताव संस्तुति उपरान्त आपको ऑनलाईन पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०),
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक: 29/09/2023

क्रमांक: FCA/e-1029419/1636

एक प्रति क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ को प्रेषित है।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०),
हरियाणा, पंचकुला।

Full Title of the Project : Diversion of 0.0074 Ha. of forest Land to proposed New Retail Outlet of IOC Ltd. at Village Sasouli on Workshop Road to Sasouli Road (WML), under Forest Division & Distt. Yamunanagar, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Approach/144571/2022

PART – IV

(To be filled in by the Nodal Officer or Principal Chief Conservator Forests or Head of Forest Dept.)

17.	Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance or otherwise of the proposal with remarks. (while giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon.)	Recommended for approval.
-----	--	----------------------------------

Date : _____

Place : **Panchkula**

Signature

Name

Office Seal


Principal Chief Conservator of Forests
Haryana, Panchkula

4
22/9/23 2
22/9/23